न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/4358/2005/भरतपुर

1– कमल पुत्र भुल्ली मृतक जरिये वारिसान :–
1/1. चेतराम पुत्र कमल
1/2. रामप्यारी पुत्री कमल
1/3. प्रेम पुत्री कमल जाति माली निवासी बूढ़ली, तहसील नगर जिला भरतपुर।

------ अपीलांट

बनाम

1– सरमन पुत्र नत्थी माली मृतक जरिये वारिसानः–
1/1. हरिलाल पुत्र सरमन
1/2. अमरसिंह पुत्र सरमन
1/3. ओमप्रकाश पुत्र सरमन
1/4. जयराम पुत्र सरमल समस्त जाति माली निवासी ग्राम बूढ़ली, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
2– उप तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार, सीकरी।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री जे0के0 पारीक/श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक :– 10.03.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की अपील सं0 15/2003 में पारित निर्णय दिनांक 09–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी सरमन ने प्रतिवादी कमल के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर, नगर जिला भरतपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नं0 308 रकबा 3 बीघा, 389 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1457/1134 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 1335 रकबा 16 बिस्वा से हाल नंबर 35 रकबा 0–40 है0, 211 रकबा 0–17 है0, 823 रकबा 0–31 है0 एवं 1467 रकबा 0–12 है0 वाके ग्राम बूढ़ली तहसील नगर पर वादी एवं वादी के पिता नत्थी का देरीना कब्जा है तथा पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी कमल का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर खसरा नं0 35 रकबा 0–40 है0, 211 रकबा 0–17 है0, 823 रकबा 0–31 है0 एवं 1467 रकबा 0–12 है0 वाके ग्राम बूढ़ली तहसील नगर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं वर्तमान में हो रहे कब्जे एवं मौके के विपरीत इन्द्राज प्रतिवादी कलमजन किये जावें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने जवाब प्रस्तुत कर वाद को मय खर्चा खारिज करने की इस्तदुआ की। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 से दावा रेस्ज्यूडिकेटा (पूर्व न्याय) से बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी सरमन द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–02–2005 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रकरण में तनकी कायम करे एवं रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु पर भी तनकी कायम कर एवं उस पर विस्तृत विवेचन कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय दिनांक

09–02–2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर पाँच तनकियात कायम की गयी। अपीलांट के प्रार्थना पत्र के आधार पर कानूनी तनकी सं0 3 व 4 पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपना निर्णय प्रदान कर दिया तथा उक्त तथ्य निर्णय में पढ़ने से स्पष्ट है कि अपीलीय न्याायलय ने तनकी बनाने के लिए प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्ज्यूडिकेटा के संबंध में तनकी सं0 3 बनाई थी फिर पुनः तनकी बनाने की क्या आवश्यकता है यह अपने निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में व्यक्त नहीं किया। अपीलीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं रिकॉर्ड था जिसमें अपीलांट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों/निर्णय की समस्त नकलें एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जिस पर विस्तृत विवेचन करने के बाद ही न्यायालय ने अपना आदेश दिया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने समझने में विधिक भूल कारित की है। पूर्व में प्रस्तुत किये गये वादों में से बाद वाला वाद दिनांक 11–01–1985 को रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर निरस्त किया गया था, फिर बाद में प्रस्तुत वाद भी उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया था जिसके लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे। उसके बावजूद भी प्रकरण को बिना वजह प्रतिप्रेषित करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थी को दिनांक 25–08–2005 को इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि उक्त अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील भी हो सकती है तथा प्रार्थी का कोई कसूर नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई कार्य जानबूझकर नहीं किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 09–02–2005 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर, नगर जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 को बहाल रखा जावें।

5– इसके विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिये कि विवादित आराजी के रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। सम्वत् 2012 के पूर्व से शिकमी की प्रविष्ठियां चली आ रही है जिससे कानूनन रेस्पोडेन्ट स्वतः ही खातेदार हो जाते हैं। सन् 1971 के प्रकरण का निर्णय भी दिनांक 01–12–1974 को प्रकरण के गुणावगुण पर नहीं किया गया है। प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटाया गया था जिससे आदेश दिनांक 01–12–1974 का भी प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आधार अपने निर्णय में लिये हैं वह साक्ष्यों व विधि के विपरीत थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। प्रकरण में तनकियात कायम कर रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु पर तनकी कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील सही स्वीकार कर प्रतिप्रेषित की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई सारभूत कारण अंकित नहीं किये हैं। इसलिए प्रार्थी का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 2011 आर0आर0टी0 पेज 237, 2009 आर0बी0जे0 पेज 82, 2006 आर0बी0जे0 पेज 699 एवं 2012 आर0आर0टी0 पेज 993 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

6– सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व कारण संतोषजनक एवं समुचित होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

7– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी सरमन द्वारा प्रतिवादी कमल के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर, नगर जिला भरतपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद में अंकित आराजी का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 में माना है कि दिनांक 11–01–1985 का निर्णय सहायक कलक्टर डीग के निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा किसी प्रकार की अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी को पृथ्क से दावा नहीं लाकर यदि कोई शिकवा था तो उक्त निर्णय की अपील में जाना चाहिए था। समान उनवानी व समान आराजी पर पूर्व में निर्णय किये जाने के कारण इस प्रकरण पर रेस्ज्यूडिकेटा लागू होने से वाद वादी खारिज किया गया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09–02–2005 में अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तकनीकी आधार पर रेस्ज्यूडिकेटा मानते हुए वाद खारिज किया गया है जबकि उनको उक्त बिन्दु पर तनकी बनाते हुए उसका विस्तृत विवेचन कर निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर मात्र तकनीकी आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया जो कि निरस्तनीय है।

अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है जो उचित एवं न्यायसंगत आदेश है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का निस्तारण होता है जो वाद में साक्ष्य, सबूत लिये जाने के उपरान्त ही होने हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण में उचित तनकी कायम करते हुए रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु पर भी तनकी कायम करके उस पर विस्तृत विवेचन कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

9– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं।

10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट न्यायहित में गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 09–02–2005 को यथावत् रखा जाकर उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर, नगर, जिला भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 को निरस्त किया जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य